<u>न्यायालयः विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, जालौन स्थान उरई।</u>
<u>जी.एस.टी. नम्बर 01/2023</u>

सरकार प्रति विशेष तिवारी आदि

<u>आरोप</u>

मैं, मौहम्मद कमर, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, जालौन स्थान उरई। आप अभियुक्तगण **1. विशेष तिवारी, 2. बृजेश तिवारी, 3. विशाल तिवारी** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित करता हूँ कि–

यह कि दिनांक समय व स्थान पर थाना रेढ़र जिला जालौन में आप अभियुक्त गैंग लीडर द्वारा अपने साथी के साथ आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर जघन्य अपराध कारित कर जनता में भय व आतंक का माहौल पैदा किया गया है। इस प्रकार आप भा0दं0वि0 के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित अपराधों को करने के अभ्यस्त अपराधी हैं तथा उक्त कृत्य धारा 3 गैंगस्टर अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। अभियोजन के अनुसार आप लोगों के द्वारा कारित आपराधिक कृत्यों का विवरण निम्नवत् हैः–

<u>अभियुक्त–विशेष तिवारी, गैंग सदस्य</u>

मु0अ0सं0 128/2020, धारा 323,504,506,386,302, भा0दं0सं0 व 3(2)(5) एस.सी.एस.टी.एक्ट, थाना कदौरा।

<u>अभियुक्त–बृजेश तिवारी, गैंग सदस्य</u>

मु0अ0सं0 128/2020, धारा 323,504,506,386,302, भा0दं0सं0 व 3(2)(5) एस.सी.एस.टी.एक्ट, थाना कदौरा।

<u>अभियुक्त–विशाल तिवारी, गैंग लीडर</u>

मु0अ0सं0 128/2020, धारा 323,504,506,386,302, भा0दं0सं0 व 3(2)(5) एस.सी.एस.टी.एक्ट, थाना कदौरा।

मु0अ0सं0 37/2022, धारा 323,332,353,504,506, भा0दं0सं0 थाना कदौरा।

अतएव मेरे द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांकः 01.08.2023

(मौहम्मद कमर)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट,
जालौन स्थान उरई।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उपरोक्त आरोपों से अभियुक्तगण ने इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांकः 01.08.2023

(मौहम्मद कमर)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट,
जालौन स्थान उरई।

<u>न्यायालयः विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, जालौन स्थान उरई।</u>

<u>जी.एस.टी. नम्बर 01/2023</u>

सरकार प्रति विशेष तिवारी आदि

<u>दिनांकः 01.08.2023</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर अभियुक्तगण **1. विशेष तिवारी, 2. बृजेश तिवारी, 3. विशाल तिवारी** उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (गैंगस्टर एक्ट) को आरोप के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, में आरोप बनाये जाने का प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, में आरोप विरचित किया गया तथा उन्हें पढकर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 17.08.2023 नियत की जाती है। अभियोजन साक्षी जरिये सम्मन नियत दिनांक हेतु तलब हों।

विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट,
जालौन स्थान उरई।